



UPRB040186092020

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोर्ट नम्बर-17, रायबरेली
पीठासीन अधिकारी- (कामायनी दुबे) - उ०प्र० न्यायिक सेवा - UP2280

बयान मुल्जिम

नाम-राजेन्द्र कुमार सोनकर

पुत्र-स्व० लालता प्रसाद

निवासी-शिवगढ़

थाना-शिवगढ़

जिला-रायबरेली

प्रश्न सं०-1 क्या आप दिनांक-11.12.2020 को स्थान-भवानीगढ़ चौराहा, थाना-शिवगढ़, जिला-रायबरेली में फल का ठेला लगाकर/दुकान लगाकर यातायात को अवरुद्ध कर रहे थे/सार्वजनिक स्थान पर शोर शराबा कर रहे थे, जो धारा-290 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

उत्तर- जी हाँ।

प्रश्न सं०-2 क्या आप क्या आप स्वेच्छया जुर्म स्वीकार कर रहे हैं?

उत्तर- जी हाँ।

प्रश्न सं०-3 क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं?

उत्तर- जी नहीं।

बयान सुनकर तस्दीक किया।

दिनांक:-12.12.2020

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम,
कोर्ट नम्बर-17, रायबरेली।

आदेश

अभियुक्त राजेन्द्र कुमार सोनकर को धारा-290 भा०दं०सं० के अपराध के अन्तर्गत दोषी पाते हुए रुपये 20/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर उसे एक दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दिनांक:-12.12.2020

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम,
कोर्ट नम्बर-17, रायबरेली।